Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बून्दी के आबकारी निरीक्षक एवं कानिस्टेबल को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपीगण के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, 20 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्ट अधिकारियों पर रखी जा रही सतत निगरानी में आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये एसीबी की बून्दी इकाई द्वारा प्रहराधिकारी आबकारी थाना बून्दी शहर अतिरिक्त प्रभार आबकारी निरीक्षक केशवरायपाटन शिवप्रताप सिंह राणा व कानिस्टेबल रामनिवास थाना आबकारी केशवरायपाटन बून्दी को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की बून्दी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी तीन कम्पोजिट शराब की दुकानो को संचालित करने के नाम पर हर माह मन्थली के रूप में 15 हजार रूपये रिश्वत की मांग की जाकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी **बून्दी इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री तरूणकान्त सोमानी** द्वारा मांग का सत्यापन किया जाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये प्रहराधिकारी आबकारी थाना बून्दी शहर शिवप्रताप सिंह राणा पुत्र श्री बलवीर सिह राणा, निवासी मकान नं. 153, महात्मा गांधी कालोनी माला फाटक कोटा जंक्शन व रामनिवास पुत्र श्री हरिकिशन जाट, निवासी गैणती, टोडारायसिंह टोक हाल कानिस्टेबल थाना आबकारी केशरायपाटन बून्दी को 10 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम.एन. के निर्देशन में** एसीबी टीमों द्वारा आरोपियों से पूछताछ एवं उसके आवास तथा अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी शिवप्रताप सिंह राणा, आबकारी निरीक्षक

आरोपी रामनिवास कानिस्टेबल

Helpline 1064

94135-02834